भारतीय पुनर्वास परिषद
बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली

फ़ाइल संख्या 5-14/2015-आर.सी.आई. दिनांक : 03.09.2015

परिपत्र

विषय: प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन प्रधानमंत्री कार्यालय को न प्रेषित करने के संबंध मे ।

उपरोक्त विषय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 42018/12/2015-(Estt) दिनांक 25.08.2015 के साथ मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार का पत्र दिनांक 17.08.2015 संलग्न कर अनुपालन के लिए प्राप्त हुआ है ।

उक्त संलग्न पत्र का हिन्दी रूपांतर किया गया है, जो सम्मुख रक्षित है ।

परिषद के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है की वह उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

03/9/2015
(एस.के. श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

संलग्न : मंत्रिमंडल सचिव के पत्र दिनांक 17.08.2015 का हिन्दी रूपांतरण

प्रतिलिपि :

1. परिषद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुपालनार्थ ।
2. व्यक्तिगत सहायक अध्यक्ष महोदया, भारतीय पुनर्वास परिषद को अध्यक्ष महोदया के अवलोकनार्थ ।
3. श्री प्रदीप पुरोहित, अनुसचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को उनके पत्र दिनांक 25.08.2015 के संदर्भ में ।
4. गार्ड फ़ाइल ।
5. नोटिस बोर्ड / वैबसाइट ।

प्रदीप कुमार सिन्हा

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार

डी.ओ.सं.501/1/4/2014-सीए.वी

दिनांक : 17 अगस्त, 2015

प्रिय सचिव,

प्राय: यह देखा गया है कि अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों / कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि सेना के जवान, सीधे प्रधानमंत्री / प्रधानमंत्री कार्यालय को, सेवा मामलों और अन्य प्रकरणों पर पत्राचार कर रहे हैं , जो कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन है।

2. आप अवगत हैं तथा समय-समय पर निर्देश भी निर्गत किए गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के मामलों और अन्य प्रकरणों पर अभ्यावेदन / संचार के लिए उचित माध्यम परिभाषित हैं । इन निर्देशों के अनुसार, जब भी सेवा अधिकार या शर्तों से सम्बंधित किसी भी मामले में, एक सरकारी कर्मचारी दावा करना चाहता है, तो उसे तत्काल अपनी शिकायत के निवारण के लिए अपने कार्यालयाध्यक्ष अथवा नामित उच्च अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो कि इस मामले के निस्तारण के लिए सक्षम हो, को प्रत्यावेदन देना अपेक्षित है । सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रत्यावेदन के प्रस्तुतीकरण के मामले में उचित निर्देश उपलब्ध हैं और अभ्यावेदन का निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाना होता है । इस प्रकार प्रत्यावेदन की निर्धारित प्रक्रिया की उपेक्षा करके सीधे प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय को अभ्यावेदन का प्रस्तुतीकरण, कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन है और इसे भविष्य में गंभीरता से लिया जाएगा ।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर उपलब्ध निर्देशों को पुन: प्रसारित कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं । इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

सस्नेह,

भवदीय

(पी. के. सिन्हा)

श्री लव वर्मा
सचिव,
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग
नई दिल्ली

प्रदीप कुमार सिन्हा
PRADEEP K. SINHA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

DO No. 501/1/4/2014-CA.V

Dated: 17th August, 2015

Dear Secretary,

Of late, it has been observed that Government servants including officers/officials of para military forces and even army personnel are addressing communications on service matters and other issues directly to the Prime Minister/Prime Minister's Office, which is a violation of Conduct Rules.

2. As you are aware, instructions have been issued time and again regarding the proper channel for representations/communications to be made by Government servants on their service matters and other issues. As per these instructions, whenever, in any matter connected with his service rights or conditions, a Government servant wishes to press a claim or to seek redressal of a grievance, the proper course for him is to address his immediate official superior, or Head of his office, or such other authority at the appropriate level as is competent to deal with the matter in the organisation. Adequate instructions are also available in the matter of submission of representation by Government servants and disposal of representations by the authorities concerned. As such, submission of representations directly to higher authorities by-passing the prescribed channel of communication is a violation of Conduct Rules and has to be viewed seriously.

3. I would request you to reiterate the instructions on the subject for strict compliance and appropriate action may be taken against those who violate such instructions.

With regards,

Yours sincerely,

(P. K. Sinha)

Shri Lov Verma
Secretary,
Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities
New Delhi

Dy. No. 2214 /SECY. (DEPWD) Dt. 19/8/15

Dy. No. 1386 /Dir. (VG)/2015 Dated: 21/8/2015

Dy. No. 2818/R JS (MJ) 2015 Date 20/8/15

20/8/2015

JS(MJ)

US (Admn)

Dir (Admn)

So(Adm)

Circulate to all

SO(AU) 25/8/15

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel: 011-23016696, 23011241 Fax: 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in